संख्या2324 / VII-II / 58-उद्योग / 10

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषित,

1—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2—समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग—2 देहरादून: दिनांक23 जुलाई, 2010

विषय:— उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद तथा उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की संस्थाओं / निजी इकाईयों द्वारा राज्य में उत्पादित उत्पादों के विभिन्न सरकारी विभागों / संस्थाओं / निगमों / प्रतिष्ठानों द्वारा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में नीति एवं उद्योग विभाग को सी0पी0ओ0 घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, हथकरघा एवं हस्तशिल्प / ग्रामोद्योग इकाईयों को प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन में प्रोत्साहन प्रदान करना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है। राज्य में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा विभिन्न परम्परागत हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / संस्थाओं / निगमों / प्रतिष्ठानों द्वारा इस प्रकार के उत्पाद अपने उपयोग हेतु नियमित रूप से क्रय किये जाते हैं, किन्तु ऐसी इकाईयों को विपणन में शासकीय संरक्षण न मिलने से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसके दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त शासकीय विभागों / प्रतिष्ठानों को अपने विभागीय उपयोग के लिये ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता की सम्पूर्ति यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद तथा उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की इकाईयों से करने के लिये ऐसी सामग्री के क्रय हेतु निम्नलिखित नीति अपनाई जायेगी:—

1. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (Procurement) नियमावली—2008 के अध्याय—2 के नियम—9 में क्रय समिति के माध्यम से रू0 1,00,000 तक लागत की

क्रमशः—2—

सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री के अन्तर्गत अनुलग्नक-"क" में वर्णित उत्पादों के क्रय हेतु उक्त नियमावली के नियम-10 के अनुरूप उद्योग विभाग (निदेशक, उद्योग) को केन्द्रीय क्रय संगठन (Central Purchase Organisation) नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त संगठन/विभाग के द्वारा हस्तशिल्प इकाईयों, शिल्पियों एवं स्वयं सहायता समूहों की उक्त नियमावली के नियम-6 के अधीन एक समिति बनायी जायेगी तथा इनके द्वारा उत्पादित/निर्मित वस्तुओं की सूची बनायी जायेगी और इस प्रकार अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को "पंजीकृत आपूर्तिकर्ता" कहलाया जायेगा। इन पर उक्त नियम की समस्त शर्तें लागू होंगी। उपभोक्ता विभागों/संस्थाओं के द्वारा सी०पी०ओ० के द्वारा निर्धारित दर एवं मानक के अनुरूप रूपये 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) तक की सीमा के अन्तर्गत बाजार सर्वेक्षण के बिना कार्यालय उपयोग हेतु सीधे क्रय किया जा सकेगा और दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिये बाजार सर्वेक्षण कर उपयुक्त आपूर्तिकर्ता के चिन्हीकरण हेतु समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियाँ प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होगी।

2. उद्योग निदेशालय द्वारा ऐसे उत्पादों तथा उत्पादकों को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्ध उत्पादों की गुणवत्ता, मानकीकरण एवं दरें निश्चित कर इन सामग्रियों के नमूने उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा बांस एवं रेशा विकास परिषद के इम्पोरियम में भी उपलब्ध रहेंगे।

3. उत्पादों के मानक एवं दरों का निर्धारण उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, बांस एवं रेशा विकास परिषद तथा वित्त सेवा के एक अधिकारी भी सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेंगे। यह समिति समय-समय पर ऐसे उत्पादों को, जो सरकारी कार्यालयों/विभागों/प्रतिष्ठानों में प्रायः उपयोग में लाये जाते हैं, के चिन्हीकरण की कार्यवाही भी करेगी तथा इनकी दरें एवं मानक निर्धारण हेतु अधिकृत होगी।

4. राज्य के शिल्पियों, शिल्प उत्पादन में संलग्न सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों तथा उत्तराखण्ड हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद/उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की इकाईयों को उत्पादक आपूर्तिकर्ता के रूप में, अधिप्राप्ति नियमावली को नियम-6 के अनुरूप अभिहित केन्द्रीय क्रय संगठन (उद्योग निदेशालय) में अपने को पंजीकृत कराना होगा।

5. उक्त व्यवस्था के तहत केवल ऐसे चिन्हित उत्पाद ही क्रय किये जा सकेंगे जो सी0पी0ओ0 के द्वारा प्रमाणित तथा सूचीबद्व हों तथा अति सूक्ष्म तथा सूक्ष्म, हथकरघा एवं हस्तशिल्प/ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा राज्य में ही उत्पादित किये गये हों।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-4248/XXVII(7)/2010 दिनांक 26 जुलाई 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-2325/VII-II/58-उद्योग/10 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी/निगम,अर्द्धशासकीय संस्थायें।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून।
9. निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।

शासनादेश संख्या 2329 /VII-II/58-उद्योग/10, दिनांकः जुलाई, 2010 का
अनुलग्नक–"क"

कार्यालय में उपयोग होने वाले उत्पादों की सूची

कमांक	उत्पाद का नाम
1.	पंखी, शॉल, ट्वीड (हैण्डलूम)
2.	चादर, तौलिया व डस्टर(हैण्डलूम)
3.	लकड़ी के मन्दिर, मूर्तियॉ व कलाकृतियॉ (Souveniors)
4.	फाइल कवर, फाइल कैविनेट, पेपर, कैडक, फाइल बोर्ड(हैण्डमेड पेपर व नेचुरल फाईबर से निर्मित)
5.	डस्टबिन व टोकरी(रिंगाल, बांस व नेचुरल फाईबर से निर्मित)
6.	बेंत व बांस/रिंगाल/लकड़ी का फर्नीचर, रैक आदि
7.	टेबिल मैट, चटाई, दरी, पर्दे, आसन (सूती/ऊलन हैण्डलूम, रिंगाल, नेचुरल फाईबर से निर्मित)
8.	डायरी, बैग, पोस्टर(नेचुरल फाईबर), पेन स्टैण्ड(रिंगाल/हैण्डीकाफ्ट)
9.	एन्टिक दीवार घड़ी(लकड़ी, बांस व पीतल)
10.	ग्रीटिंग कार्ड(हैण्डमेड पेपर, नेचुरल फाईबर से निर्मित)

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।

केन्द्रीयकृत व्यवस्था हेतु उद्योग निदेशलय में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

1– संस्था / शिल्पकार का नाम...
2– पूरा पता ....
(दूरभाष / मो0 / कोनटैक्ट सहित)
3– संस्था का पंजीकरण संख्या एवं दिनांक(यदि हो तो)..
(पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं निबन्धन की प्रति संलग्न करें)
4– पूंजी निवेश 1– भूमि भवन..
2– उपकरण...
5– संस्था के अन्तर्गत सूचीबद्व कारीगर...
6–उद्योग विभाग / खादी बोर्ड / वॉस रेशा बोर्ड में पंजीकरण...
7–संस्था / इकाई की उत्पादित वस्तुऐं ....
8– संस्था / इकाई की उत्पादन क्षमता सहित..
9–उत्पादित उत्पाद के विपणन की वर्तमान व्यवस्था..
10– उत्पादो की सूची जो बनाई जा रही हैं, (संलग्नक में से).......................................
11–उत्पाद की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाती है..
12– उत्पादन क्षमता (मासिक)...
उत्पाद.......................................संख्या ....
13–क्राफ्ट से वार्षिक आय...
14 संस्था के मामले में बैलेंस सीट की प्रति...

दिनांक हस्ताक्षर

पंजीकरण हेतु अन्य शर्तें–

1– संस्था / शिल्पी विगत दो वर्षों से उत्पादन कर रहा हो।
2– संस्था / शिल्पी की क्षमता जिला उद्योग केन्द्र / खादी ग्रामोद्योग बोर्ड / बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा प्रमाणित हो।
3– संस्था / शिल्पी द्वारा उत्पादित उत्पाद उत्तराखण्ड राज्य में ही निर्मित किया जा रहा हो, तथा राज्य में उत्पादित उत्पाद ही बिक्री हेतु उपलब्ध कराये जा रहे हों।
4– संस्था / शिल्पी द्वारा उत्पादित उत्पाद राज्य के शिल्पियों द्वारा ही उत्पादित किये जा रहे हैं। उत्पादन क्षमता जिला उद्योग केन्द्र / उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं बांस एवं रेशा विकास परिषद द्वारा प्रमाणित की जायेगी।
5– संस्थाओं / शिल्पियों द्वारा उन्ही उत्पादों का विक्रय किया जायेगा जो शासनादेश में अंकित है।

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि:–

1–संस्था/शिल्पी द्वारा उत्पादित उत्पाद उत्तराखण्ड राज्य में ही निर्मित किये जा रहे हैं।

2– संस्था/शिल्पी द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता एवं मुल्यांकन जिला उद्योग केन्द्र/उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं बांस एंव रेशा विकास परिषद के द्वारा किया गया है।

3– संस्था/शिल्पी द्वारा दी गयी जानकारी पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर सही अंकित की गयी है। उपरोक्त विवरण के उल्लंघन पर विभाग कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

हस्ताक्षर